



महानिदेशक, स्कूल शिक्षा

एवं

राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय,

समग्र शिक्षा, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ-226 007



Website: www.basiceducation.up.gov.in, www.upefa.com Email: upefaspo@gmail.com Phone: 0522-2780995

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
समस्त जनपद, उ०प्र०।

पत्रांक : सामु०सह० / SMC Trg. / 10851 / 2024-25 दिनांक : 07/03/2025

विषय: शैक्षिक सत्र 2024-25 में विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि शैक्षिक सत्र 2024-25 में प्रदेश में समस्त परिषदीय विद्यालयों की विद्यालय प्रबन्ध समितियों के सदस्यों को विद्यालय स्तर पर प्रशिक्षित किया जाना है। प्रत्येक जनपद से नामित दो प्रशिक्षुओं को 02 दिवसीय राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स के रूप में माह फरवरी, 2025 में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। राज्य स्तर पर प्रशिक्षण प्राप्त मास्टर ट्रेनर्स द्वारा जनपद स्तर पर प्रत्येक विकास खण्ड के 04 नामित प्रशिक्षुओं तथा जनपद स्तर पर प्रशिक्षित ट्रेनर्स द्वारा प्रत्येक विद्यालय के प्रधानाध्यापक (सदस्य सचिव, एस०एम०सी०) एवं अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एस०एम०सी० को विकास खण्ड स्तर पर प्रशिक्षित किया जायेगा। विकास खण्ड स्तर पर प्रशिक्षित संदर्भदाता द्वारा विद्यालय स्तर पर समस्त विद्यालय प्रबन्ध समितियों के सदस्यों को उनके कर्तव्यों एवं दायित्वों, सामुदायिक एवं अभिभावकों की सहभागिता, पॉजिटिव पैरेंटिंग तथा समग्र शिक्षा द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों में उनकी भूमिका आदि विषय पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है, जिसका प्रशिक्षण कार्ययोजना निम्नवत् है:-

त्रिस्तरीय गैर आवासीय एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्ययोजना-

स्तर	प्रतिभागी व उनकी संख्या	शैक्षणिक सामग्री	संदर्भदाता	प्रशिक्षण हेतु निर्धारित समय सीमा	प्रतिभागियों हेतु अनुमन्य लिमिट	प्रशिक्षण का अनुश्रवण व मूल्यांकन
जनपद स्तर	प्रति विकास खण्ड से नामित 04 प्रशिक्षु	जनपद स्तर प्रशिक्षण मॉड्यूल, एस०एम०सी० पर आधारित प्रशिक्षण एवं पी०पी०टी० आदि	राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स	10 मार्च, 2025 तक	प्रति प्रतिभागी रू० 200/ मात्र (रू० दो सौ मात्र) की दर से स्टेशनरी (पेन, फोल्डर एवं पैड) जलपान व भोजन आदि	राज्य एवं जनपद स्तर पर गठित अनुश्रवण समिति
विकास खण्ड स्तर	प्रति विद्यालय (अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव एस०एम०सी० -समस्त विद्यालय) 02 प्रशिक्षु	जनपद स्तर प्रशिक्षण मॉड्यूल, एस०एम०सी० पर आधारित प्रशिक्षण एवं पी०पी०टी० आदि	जनपद स्तर पर प्रशिक्षित ट्रेनर्स (संदर्भदाता)	15 मार्च, 2025 तक	प्रति प्रतिभागी रू० 200/ मात्र की दर से (रू० एक सौ पचास मात्र) स्टेशनरी पेन एवं पैड), जलपान व भोजन आदि	जनपद स्तर पर गठित अनुश्रवण समिति एवं राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स द्वारा ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण का अनुश्रवण
विद्यालय एवं के०जी०बी०वी० स्तर	एस०एम०सी के समस्त सदस्यगण एवं शेष पदाधिकारी	जनपद स्तर प्रशिक्षण मॉड्यूल, एस०एम०सी० पर आधारित प्रशिक्षण एवं पी०पी०टी० आदि	विकास खण्ड स्तर पर प्रशिक्षित संदर्भदाता	25 मार्च, 2025 तक	समस्त प्रतिभागियों हेतु रू० 1100/ मात्र (रू० एक हजार मात्र) स्टेशनरी, जलपान व भोजन आदि	बी०ई०ओ० एवं राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स द्वारा कम से कम 10 विद्यालयों पर संचालित प्रशिक्षण का अनुश्रवण

विद्यालय प्रबन्ध समितियों के सदस्यों के प्रशिक्षण हेतु धनराशि ₹ 20,10,90,835 /- (रुपये बीस करोड़, दस लाख नब्बे हजार, आठ सौ पैंतिस मात्र)की धनराशि की लिमिट जनपदों को जारी की जा रही है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	जनपद का नाम	कुल ब्लॉकों की संख्या	जनपद स्तरीय प्रशिक्षु (प्रति ब्लॉक 04 प्रशिक्षु प्रति प्रशिक्षु रू0 200/- की दर से)		कुल विद्यालयों की संख्या (KGBV सहित)	ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षु (प्रति विद्यालय प्रधानाध्याक एवं अध्यक्ष/उपाध्यक्ष प्रति प्रशिक्षु रू0 200/- की दर से)		विद्यालय प्रबन्ध समिति के समस्त सदस्यों के प्रशिक्षण हेतु (प्रति विद्यालय रू0 1100/- की दर से) KGBV को छोड़कर		KGBV विद्यालय प्रबन्ध समिति के समस्त सदस्यों के प्रशिक्षण हेतु (प्रति KGBV विद्यालय रू0 1100/- की दर से)		भौतिक लक्ष्य के सापेक्ष जनपदों को जारी की जा रही लिमिट की कुल धनराशि	
			भौतिक लक्ष्य	वित्तीय		भौतिक लक्ष्य	वित्तीय	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय	भौतिक लक्ष्य (4+7+9+12)	वित्तीय (5+8+10+12)
1	AGRA	16	64	12800	2509	5018	1003600	2496	2745600	13	14300	7591	3776300
2	ALIGARH	13	52	10400	2128	4256	851200	2115	2326500	13	14300	6436	3202400
3	Allahabad	20	80	16000	2874	5748	1149600	2854	3139400	20	22000	8702	4327000
4	AMBEDKAR NAGAR	10	40	8000	1591	3182	636400	1583	1741300	8	8800	4813	2394500
5	AMETHI	13	52	10400	1586	3172	634400	1573	1730300	13	14300	4810	2389400
6	AURAIYA	8	32	6400	1266	2532	506400	1266	1392600	0	0	3830	1905400
7	AZAMGARH	23	92	18400	2727	5454	1090800	2706	2976600	21	23100	8273	4108900
8	BAGHPAT	10	40	8000	533	1066	213200	531	584100	2	2200	1639	807500
9	BAHRAICH	15	60	12000	2818	5636	1127200	2803	3083300	15	16500	8514	4239000
10	BALLIA	18	72	14400	2264	4528	905600	2248	2472800	16	17600	6864	3410400
11	BALRAMPUR	10	40	8000	1826	3652	730400	1815	1996500	11	12100	5518	2747000
12	BANDA	9	36	7200	1735	3470	694000	1727	1899700	8	8800	5241	2609700
13	BARABANKI	16	64	12800	2641	5282	1056400	2626	2888600	15	16500	7987	3974300
14	BAREILLY	16	64	12800	2501	5002	1000400	2483	2731300	18	19800	7567	3764300
15	BASTI	15	60	12000	2084	4168	833600	2071	2278100	13	14300	6312	3138000
16	BHADOI	7	28	5600	890	1780	356000	885	973500	5	5500	2698	1340600
17	BIJNOR	12	48	9600	2134	4268	853600	2120	2332000	14	15400	6450	3210600
18	BUDAUN	16	64	12800	2173	4346	869200	2155	2370500	18	19800	6583	3272300
19	BULANDSHAHR	16	64	12800	1882	3764	752800	1866	2052600	16	17600	5710	2835800
20	CHANDAULI	9	36	7200	1194	2388	477600	1185	1303500	9	9900	3618	1798200
21	CHITRAKOOT	6	24	4800	1261	2522	504400	1257	1382700	4	4400	3807	1896300
22	DEORIA	17	68	13600	2134	4268	853600	2121	2333100	13	14300	6470	3214600
23	ETAH	9	36	7200	1699	3398	679600	1691	1860100	8	8800	5133	2555700
24	ETAWAH	9	36	7200	1489	2978	595600	1487	1635700	2	2200	4503	2240700
25	FAIZABAD	12	48	9600	1802	3604	720800	1792	1971200	10	11000	5454	2712600
26	FARRUKHABAD	8	32	6400	1582	3164	632800	1577	1734700	5	5500	4778	2379400
27	FATEHPUR	14	56	11200	2140	4280	856000	2130	2343000	10	11000	6476	3221200
28	FIROZABAD	10	40	8000	1832	3664	732800	1829	2011900	3	3300	5536	2756000
29	GAUTAM BUDDHA NAGAR	4	16	3200	515	1030	206000	512	563200	3	3300	1561	775700
30	GHAZIABAD	6	24	4800	449	898	179600	445	489500	4	4400	1371	678300
31	GHAZIPUR	17	68	13600	2280	4560	912000	2266	2492600	14	15400	6908	3433600
32	GONDA	17	68	13600	2627	5254	1050800	2610	2871000	17	18700	7949	3954100
33	GORAKHPUR	21	84	16800	2523	5046	1009200	2503	2753300	20	22000	7653	3801300
34	HAMIRPUR (U.P.)	7	28	5600	974	1948	389600	967	1063700	7	7700	2950	1466600
35	HAPUR (PANCHSHEEL NAGAR)	3	12	2400	507	1014	202800	503	553300	4	4400	1533	762900

36	HARDOI	20	80	16000	3466	6932	1386400	3446	3790600	20	22000	10478	5215000
37	HATHRAS	8	32	6400	1243	2486	497200	1237	1360700	6	6600	3761	1870900
38	ALAUN	10	40	8000	1521	3042	608400	1513	1664300	8	8800	4603	2289500
39	JAUNPUR	22	88	17600	2820	5640	1128000	2801	3081100	19	20900	8548	4247600
40	JHANSI	9	36	7200	1461	2922	584400	1452	1597200	9	9900	4419	2198700
41	J.P. Nagar (AMROHA)	7	28	5600	1273	2546	509200	1265	1391500	8	8800	3847	1915100
42	KANNAUJ	9	36	7200	1464	2928	585600	1459	1604900	5	5500	4428	2203200
43	KANPUR DEHAT	10	40	8000	1924	3848	769600	1923	2115300	1	1100	5812	2894000
44	KANPUR NAGAR	11	44	8800	1787	3574	714800	1787	1965700	0	0	5405	2689300
45	KANSHIRAM NAGAR	7	28	5600	1271	2542	508400	1263	1389300	8	8800	3841	1912100
46	KAUSHAMBI	8	32	6400	1097	2194	438800	1089	1197900	8	8800	3323	1651900
47	KHERI	16	64	12800	3122	6244	1248800	3106	3416600	16	17600	9430	4695800
48	KUSHINAGAR	15	60	12000	2478	4956	991200	2464	2710400	14	15400	7494	3729000
49	LALITPUR	7	28	5600	1363	2726	545200	1357	1492700	6	6600	4117	2050100
50	LUCKNOW	10	40	8000	1627	3254	650800	1619	1780900	8	8800	4921	2448500
51	MAHARAJGANJ	13	52	10400	1733	3466	693200	1720	1892000	13	14300	5251	2609900
52	MAHOBA	5	20	4000	852	1704	340800	848	932800	4	4400	2576	1282000
53	MAINPURI	10	40	8000	1912	3824	764800	1909	2099900	3	3300	5776	2876000
54	MATHURA	11	44	8800	1549	3098	619600	1539	1692900	10	11000	4691	2332300
55	MAU	10	40	8000	1213	2426	485200	1208	1328800	5	5500	3679	1827500
56	MEERUT	14	56	11200	1077	2154	430800	1072	1179200	5	5500	3287	1626700
57	MIRZAPUR	13	52	10400	1831	3662	732400	1821	2003100	10	11000	5545	2756900
58	MORADABAD	9	36	7200	1417	2834	566800	1408	1548800	9	9900	4287	2132700
59	MUZAFFARNAGAR	12	48	9600	959	1918	383600	951	1046100	8	8800	2925	1448100
60	PILIBHIT	8	32	6400	1508	3016	603200	1499	1648900	9	9900	4556	2268400
61	PRATAPGARH	18	72	14400	2383	4766	953200	2368	2604800	15	16500	7221	3588900
62	RAE BARELI	18	72	14400	2317	4634	926800	2301	2531100	16	17600	7023	3489900
63	RAMPUR	7	28	5600	1604	3208	641600	1597	1756700	7	7700	4840	2411600
64	SAHARANPUR	12	48	9600	1447	2894	578800	1438	1581800	9	9900	4389	2180100
65	SAMBHAL (BHIM NAGAR)	8	32	6400	1299	2598	519600	1289	1417900	10	11000	3929	1954900
66	SANT KABIR NAGAR	8	32	6400	1253	2506	501200	1246	1370600	7	7700	3791	1885900
67	SHAHJAHANPUR	16	64	12800	2732	5464	1092800	2716	2987600	16	17600	8260	4110800
68	SHAMLI (PRABUDH NAGAR)	4	16	3200	600	1200	240000	596	655600	4	4400	1816	903200
69	SHRAWASTI	5	20	4000	989	1978	395600	984	1082400	5	5500	2987	1487500
70	SIDDHARTHANAGAR	14	56	11200	2275	4550	910000	2262	2488200	13	14300	6881	3423700
71	SITAPUR	20	80	16000	3532	7064	1412800	3512	3863200	20	22000	10676	5314000
72	SONBHADRA	10	40	8000	2070	4140	828000	2061	2267100	9	9900	6250	3113000
73	SULTANPUR	14	56	11200	2078	4156	831200	2066	2272600	12	13200	6290	3128200
74	UNNAO	17	68	13600	2722	5444	1088800	2709	2979900	13	14300	8234	4096600
75	VARANASI	9	36	7200	1149	2298	459600	1143	1257300	6	6600	3483	1730700
Grand Total		886	3544	708805	133588	267176	53435208	132842	146126210	746	820612	404321	201090835

प्रशिक्षण हेतु महत्वपूर्ण निर्देश-

1. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में एक दिवसीय प्रशिक्षण की कार्ययोजना/रूपरेखा तैयार कर प्रशिक्षण की कार्ययोजना से सभी खण्ड शिक्षा अधिकारी व प्रशिक्षकों को जानकारी उपलब्ध कराने का दायित्व जिला समन्वयक, सामुदायिक सहभागिता का होगा।
2. प्रशिक्षण से पूर्व प्रशिक्षण के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्थायें यथा- प्रशिक्षण सामग्री, बैनर, प्रशिक्षण स्थल की साफ-सफाई व साज-सज्जा, प्रतिभागियों को समय व स्थान की पूर्व सूचना, प्रोजेक्टर व एल0ई0डी0 एवं माइक आदि की व्यवस्थायें सुनिश्चित की जाये।
3. राज्य परियोजना कार्यालय के पत्र सं0 सामु0सह0/एस0एम0सी0मॉ0/8971/2024-25 दिनांक 2 जनवरी 2025 के निर्देशानुसार समस्त स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम में जनपहल माडूल्स एवं हस्तपुस्तिका का वितरण तथा उपयोग करना सुनिश्चित करें।

4. राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रशिक्षण हेतु संदर्भित शैक्षणिक सामग्रियों की सॉफ्ट कॉपी मास्टर ट्रेनर्स को उपलब्ध करायी जा चुकी है।
5. प्रशिक्षण में संदर्भदाताओं का यह दायित्व होगा कि एस0एम0सी0 की मासिक बैठक, रजिस्टर्ड का उपयोग एवं कार्यवृत्त के अभिलेखीकरण का डेमो अनिवार्य रूप से करें।
6. विद्यालय प्रबन्ध समिति की मासिक बैठक हेतु राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये एस0एम0सी0 मासिक बैठक रजिस्टर का उपयोग विद्यालय प्रबन्ध समिति की मासिक बैठक के कार्यवृत्त के अभिलेखीकरण हेतु किया जाए, न कि बैठक पंजिका रजिस्टर अथवा अन्य रजिस्टर आदि का उपयोग।

प्रशिक्षण का अनुश्रवण

1. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक, सामुदायिक सहभागिता एवं जिला समन्वयक, प्रशिक्षण का दायित्व होगा कि जनपद स्तर पर अनुश्रवण टीम गठित कर अनुश्रवण/निरीक्षण करते हुए प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये।
2. राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स द्वारा भी ब्लॉक एवं विद्यालय स्तर पर अनुश्रवण/सहयोगात्मक पर्यवेक्षण का कार्य किया जायेगा।
3. ब्लॉक स्तर पर खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रशिक्षण का सघन अनुश्रवण किया जाये तथा स्वयं कम से कम 10 विद्यालयों का निरीक्षण/अनुश्रवण करते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को रिपोर्ट उपलब्ध कराये तथा किसी भी प्रकार की कमी पाये जाने पर आवश्यकतानुसार कार्यवाही की जाये।
4. प्रशिक्षण के अनुश्रवण की योजना इस प्रकार बनायी जाये कि समस्त ब्लॉकों का अनुश्रवण सुनिश्चित हो सके।
5. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा कम से कम 02 विद्यालयों में प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रशिक्षण का स्थलीय निरीक्षण/अनुश्रवण करते हुए राज्य परियोजना कार्यालय को आख्या उपलब्ध करायी जाए।
6. प्रशिक्षण के अनुश्रवण हेतु प्रपत्र संलग्न-1 पर है।

वित्तीय निर्देश:-

संबंधित मद में व्यय करने हेतु निम्नांकित बिंदुओं के अनुसार कार्यवाही करना अपेक्षित है-

- जनपद स्तर के प्रशिक्षण में प्रति प्रशिक्षु हेतु कॉलम संख्या 05 में निर्धारित धनराशि रू0 150/- की अधिकतम दर से भोजन/जलपान एवं रू0 50/- की अधिकतम दर से स्टेशनरी (पेन, फोल्डर एवं पैड) अर्थात् कुल धनराशि रू0 200/- की अधिकतम दर से अनुमन्य है।
- ब्लॉक स्तर के प्रशिक्षण में प्रति प्रशिक्षु हेतु कॉलम संख्या 08 में निर्धारित धनराशि रू0 150/- की अधिकतम दर से भोजन/जलपान एवं रू0 50/- की अधिकतम दर से स्टेशनरी (पेन, फोल्डर एवं पैड) अर्थात् कुल धनराशि रू0 200/- की अधिकतम दर से अनुमन्य है।
- विद्यालय स्तर के प्रशिक्षण में प्रति विद्यालय हेतु कॉलम संख्या 10 में निर्धारित धनराशि रू0 1100/- की अधिकतम दर से समस्त प्रतिभागियों के भोजन/जलपान एवं स्टेशनरी हेतु अनुमन्य है।
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के एस0एम0सी0 सदस्यों के प्रशिक्षण हेतु कॉलम संख्या 12 में निर्धारित धनराशि रू0 1100/- की अधिकतम दर से समस्त प्रतिभागियों के भोजन/जलपान एवं स्टेशनरी हेतु अनुमन्य किया जाना प्रस्तावित है, जिसकी लिमिट राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ द्वारा सीधे के0जी0बी0वी0 के खाते में जारी की जा रही है।
- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण हेतु कॉलम संख्या 08 में निर्धारित धनराशि की लिमिट ब्लॉक संसाधन केन्द्र तथा विद्यालय स्तर पर एस0एम0सी0 सदस्यों के प्रशिक्षण हेतु कॉलम संख्या 10 में निर्धारित धनराशि की लिमिट एस0एम0सी0 के खाते में 3 कार्य दिवस के अन्दर जारी कर दी जाये।
- विद्यालय प्रबंध समिति के प्रशिक्षण से संबंधित समस्त व्यय SMC Training मद (Component Code-[F.01.10] Training of SMC/SMDC (Elementary) [UP]) से करना सुनिश्चित किया जाये।
- सन्दर्भित मद में किया जाने वाला व्यय वित्तीय नियमों/क्रय नियमों तथा 'फाईनेन्शियल मैनेजमेण्ट एण्ड प्रोक्योरमेण्ट 2024' के प्राविधानों एवं सुसंगत शासनादेशों के अन्तर्गत नियमानुसार करते हुए उपभोग प्रमाण पत्र राज्य परियोजना कार्यालय को अनिवार्यतः उपलब्ध कराया जाये।
- उपर्युक्त मद में किए गए व्यय से सम्बन्धित बिल वाउचर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के पास संरक्षित रखें जायें एवं नियमानुसार आन्तरिक एवं वैधानिक सम्प्रेक्षण के समय प्रस्तुत किये जायेंगे।
- व्यय का विवरण (मदवार) कार्य पूर्ण होने के उपरान्त एक सप्ताह में राज्य परियोजना कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाये।

